FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ------अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02---मुकाम

किशनगढ़

कालूराम ——बनाम—— राजेंद्र वगैरह

किस्म मुकदमा —— दीवानी वाद संख्या 20/2015 (103/2021) ———

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-07-2025	वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 37 राजस्थान स्टांप एक्ट दिनांक 31.05.2025 का निस्तारण किया जा रहा हैं। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि प्रकरण में दिनांक 09.04.2025 को प्रतिवादी द्वारा विकय इकरारनामा दिनांक 20.10.2016 पर प्रदर्श डालना चाहा तब वादी द्वारा यह आपत्ति की गई कि उक्त दस्तावेज स्टांपयुक्त नही है। दस्तावेज न्यायालय की अनुमति से पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया हैं। द्वितीय साक्ष्य में पेश करने की अनुमति भी दी गई। उक्त दस्तावेज को धारा 37 राज. स्टांप एक्ट के स्टांपित किया जाना आवश्यक है। दस्तावेज दिनांक 20.10.2016 की मालियत एक करोड छ लाख इक्यावन हजार रूपये हैं। इस दस्तावेज मे विवादित भूमि खसरा सं 104 की 6 बीघा 5 बीस्वा व इसके पास स्थित खसरा संख्या 105 की 1 हैक्टेयर भूमि को विकय करने का अंकन है। खसरा संख्या 104 के संबधं में स्टांप भी अदा की जा चुकी हैं। पुनः स्टांप डयूटी की आवश्यकता नही है अतः शेष राशि 61 लाख 51 हजार रूपये पर ही स्टांप डयूटी दी जानी है अतः दस्तावेज इकरारनामा इम्पाउन्ड किया जाकर स्टांप डयूटी जमा कराने हेतु प्रेषित किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत नही किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि न्यायालय के द्वारा यह तय नही किया जा सकता कि दस्तावेज पर कितनी स्टांप डयूटी देय हैं। यह कार्य कलेक्टर मुद्रांक का हैं। दस्तावेज को इम्पाउंड करके कलेक्टर स्टांप को प्रेषित किया जाता हैं। वादी को कोई आपत्ति नही हैं। उभयपक्षो को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। प्रतिवादी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र दस्तावेज सहमति पत्र दिनांक 20.10.2016 को पर्याप्त रूप से स्टांपित नही होने से इम्पाउन्ड किया जाकर कलेक्टर स्टांप को प्रेषित करने का निवेदन किया हैं। दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज सहमति पत्र दिनांक 20.10.2016 फोटोप्रति दस्तावेज हैं असल या प्रमाणित प्रति दस्तावेज नही है। अतः ऐसी	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

स्थिति में असल या प्रमाणित प्रति दस्तावेज के अभाव में फोटोप्रति दस्तावेज को इम्पाउन्ड नही किया जा सकता ना ही उसे कलेक्टर स्टांप को प्रेषित किया जा सकता है।

अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज असल या प्रमाणित प्रति दस्तावेज के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होता व अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। उक्त दस्तावेज असल या प्रमाणित प्रति पेश होने पर प्रतिवादी पुनः इस संबधं में प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगे। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 09.07.2025 को पेश हों।